भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3566
दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

जनजातीय/चाय बागान क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण

3566. **श्री अरुप चक्रवर्तीः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कई राज्यों के जनजातीय, चाय बागान और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के बीच गंभीर कुपोषण की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के अंतर्गत पहचाने गए गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों (0-6 वर्ष) की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) और पोषण ट्रैकर के अंतर्गत निधि पूरी तरह से और समय पर आंगनवाड़ी केंद्रों को जारी की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का लीकेज और फर्जी प्रविष्टियों को रोकने के लिए आंगनवाड़ी पोषण आपूर्ति और लाभार्थी उपस्थिति का वास्तविक समय में सार्वजनिक लेखा परीक्षा शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना

को मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस मिशन के लाभार्थी में जनजातीय, चाय बागान और ग्रामीण क्षेत्र सहित देश के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत पहचाने गए गंभीर रूप से अल्प वजन वाले बच्चों की संख्या (राज्यवार) इस लिंक https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

मिशन पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है, जिसे बाद में आंगनवाड़ी केंद्रों को अंतरित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन को निर्धारित संकेतकों पर आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण आईसीटी आधारित निगरानी के साधन के रूप में शुरू किया गया है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए लगभग तत्समय डेटा संग्रह को सुगम बनाया है। पोषण ट्रैकर के सार्वजनिक डैशबोर्ड में आंगनवाड़ी केंद्र की अवसंरचना, आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने, पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का विवरण और आधार सत्यापन की स्थिति से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इसमें पूरक पोषण कार्यक्रम, बच्चों के विकास माप की स्थिति और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-2 वर्ष के बच्चों वाले घरों के दौरे जैसी सेवाओं का विवरण भी है। सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी तक ट्रैकिंग के लिए, पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में टेक-होम राशन के वितरण हेतु फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लक्षित लाभार्थी को ही मिले और डेटा लीक और फर्जी प्रविष्टियों को रोका जा सके।

अनुलग्नक

पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई निधि:

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जारी की गई निधि (2022-23)**	**जारी की गई निधि (2023-24)**	**जारी की गई निधि (2024-25)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.85	12.15	9.63
2	आंध्र प्रदेश	827.79	705.68	645.73
3	अरुणाचल प्रदेश	137.78	162.06	102.61
4	असम	1,651.63	2,233.31	2,482.34
5	बिहार	1,740.09	1,859.29	2,262.92
6	चंडीगढ़	33.10	19.79	14.56
7	छत्तीसगढ़	668.96	579.46	733.30
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	5.80	11.97	9.13
9	दिल्ली	182.77	161.81	160.41
10	गोवा	14.71	13.95	13.44
11	गुजरात	912.64	1,126.80	601.32
12	हरियाणा	195.25	225.78	232.69
13	हिमाचल प्रदेश	270.24	301.09	313.07
14	जम्मू एवं कश्मीर	479.01	530.88	662.79
15	झारखंड	430.91	664.30	496.95
16	कर्नाटक	765.87	912.96	886.85
17	केरल	444.98	306.64	435.74

18	लद्दाख	18.79	19.62	18.89
19	लक्षद्वीप	0.44	2.88	1.35
20	मध्य प्रदेश	1,011.57	1,123.11	1,144.54
21	महाराष्ट्र	1,646.17	1,699.52	1,368.84
22	मणिपुर	135.95	201.28	342.87
23	मेघालय	192.39	269.69	137.93
24	मिजोरम	42.81	100.27	55.29
25	नागालैंड	199.30	262.91	147.01
26	ओडिशा	923.92	968.80	948.16
27	पुद्दुचेरी	0.12	4.48	3.68
28	पंजाब	75.31	307.87	265.48
29	राजस्थान	974.02	1,091.96	741.85
30	सिक्किम	20.33	33.49	18.07
31	तमिलनाडु	766.81	880.79	638.47
32	तेलंगाना	550.69	507.87	430.76
33	त्रिपुरा	150.52	244.22	153.41
34	उत्तर प्रदेश	2,721.87	2,668.69	2,694.62
35	उत्तराखंड	425.84	288.24	216.33
36	पश्चिम बंगाल	1,227.59	1,237.56	1,513.80
